कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)

दूरभाष : 07662-255851 फैक्स नं. - 07662-255851

ई-मेल: deo.rewa@nic.in

क्रमांक / वि.स. / बजट / 2840 / 2022 / 192 रीवा दिनांक 15/03/2022

प्रति,

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
म0प्र0 भोपाल

विषयः— विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.3840 में जिला शिक्षा अधिकारी की जांच के संबंध में प्रश्नांश (क) से (घ) तक संलिप्त कर्मचारियों व अन्य की जानकारी प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भः— भवदीय कार्यालय का दूरभाष निर्देश दिनांक 14.03.2022

---000---

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित दूरभाष निर्देश के परिपालन में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल द्वारा उद्‌भूत विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3840 के बिन्दु भाग (क) से (घ) तक की जानकारी का संक्षिप्त विवरण चाहा गया है। जो निम्नानुसार हैः—

(क) — जी हां, प्रश्नांश (क) में प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा हुए वित्तीय अनियमितता की जांच कलेक्टर रीवा द्वारा कराई गई थी। कलेक्टर रीवा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन व दिये गये निष्कर्श के आधार पर जिले में संचालित अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन एरियर राशि संबंधितों के खाते में आंतरण न कर अन्य के खाते में आंतरित करने के लिये श्री अशोक कुमार शर्मा लेखापाल, श्री अखिलेश तिवारी सहायक ग्रेड—3 कार्यालयीन अनुदान कक्ष प्रभारी व श्री विजय कुमार तिवारी सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि.तिवनी को प्रतिवेदित किया गया है। संबंधितों द्वारा जिन प्राचार्यो से कुडर्की की कार्यवाही की गई है। उनका नाम व राशि निम्नानुसार है—

उक्त जांच में संलिप्त प्राचार्यो की सूची —

स.क्र.	नाम	राशि
1	प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बालक देवतालाब तत्कालीन रीवा जिला रीवा (म0प्र0)	218902/—
2	श्रीमती दिव्या द्विवेदी सेवा निवृत्ति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.कटरा	299320/—
3	संतोष कुमार तिवारी सेवा निवृत्ति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.रगौली	306144/—
4	रामदेव वर्मा प्राचार्य शा.उ.मा.वि.पिपराही	333466/—
5	हीरामणि प्रजापति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.मझिगवां हनुमना	88060/—
6	सी.पी.साकेत प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बरांव हनुमना	168240/—
7	श्रीमती उमा द्विवेदी प्राचार्य शा.उ.मा.वि. प्रतापगंज	135300/—
8	श्री रामनेवास मिश्रा प्राचार्य शा.उ.मा.वि.पहाड़ी हनुमना	169500/—
9	भाई लाल कोल प्राचार्य शा.उ.मा.वि.तिलया हनुमना	27675/—
	योग	**1746607/—**

सरल क्रमांक 1,2,3 और 8 को छोड़कर शेष संबंधितों द्वारा राशि शासन के ख़जाने में जमा कराई गई है।

(ख) — प्रश्नांश (क) में वर्णित दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबंधित लेखापाल श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री अखिलेश कुमार तिवारी सहायक ग्रेड—3 के विरुद्ध निलंबन हेतु प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में कलेक्टर रीवा के आदेश क्र./सर्तकता/शिक्षा/निलंबन/2021/968—969 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन के विरुद्ध माननीय न्यायालय में याचिका क्र.—7667/2021 दिनांक 05.04.2021 में अग्रिम आदेश तक स्थगन प्राप्त है।

तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा सिविल लाईन्स थाना रीवा में दिनांक 06.04.2021 को क्रमशः अपराध क्र.—136/2021 दिनांक 06.04.2021 एवं अपराध क्र.—256/2021 दिनांक 03.08.2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। किन्तु उक्त अपराध के विरुद्ध श्री अशोक कुमार शर्मा लेखापाल द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र.–12115/2021 दिनांक 13.07.2021 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2021 एवं 14519/2021 में स्थगन प्राप्त है। श्री अखिलेख कुमार तिवारी सहायक ग्रेड–3 तत्कालीन अनुदान कक्ष प्रभारी को कार्यालय कलेक्टर रीवा के आदेश क्र.970–971 दिनांक 15.03.2021 को निलंबित किया गया। एवं इस कार्यालय द्वारा सिविल लाईन्स थाना रीवा में दिनांक 06.04.2021 को क्रमशः अपराध क्र.–136/2021 दिनांक 06.04.2021 एवं अपराध क्र. –256/2021 दिनांक 03.08.2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

श्री विजय कुमार तिवारी सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि.तिवनी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश क्र. 168–169 दिनांक 12.07.2021 को निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर कर्चुलियान किया गया। तत्पाश्चात् कार्यालय कलेक्टर द्वारा सिविल लाईन्स थाना रीवा में दिनांक 06.04.2021 को क्रमशः अपराध क्र.–136/2021 दिनांक 06.04.2021 एवं अपराध क्र.–256/2021 दिनांक 03.08.2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तथा कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा के आदेश क्र./सर्तकता–1/वि.जा/शिक्षा/2021/426–427 रीवा दिनांक 18.10.2021 को विभागीय जांच संस्थपित की गई है।

प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बालक देवतालाब तत्कालीन रीवा जिला रीवा (म0प्र0), श्रीमती दिव्या द्विवेदी सेवा निवृत्ति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.कटरा, संतोष कुमार तिवारी सेवा निवुत्ति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.रगौली, रामदेव वर्मा प्राचार्य शा.उ.मा.वि.पिपराही, हीरामणि प्रजापति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.मझिगवां हनुमना, सी.पी.साकेत प्राचार्य शा.उ.मा.वि. बरांव हनुमना, श्रीमती उमा द्विवेदी प्राचार्य शा.उ.मा.वि. प्रतापगंज, श्री रामनेवास मिश्रा प्राचार्य शा.उ.मा.वि. पहाड़ी हनुमना, भाई लाल कोल प्राचार्य शा.उ.मा.वि.तिलया हनुमना – उक्त प्राचार्यो के विरुद्ध एफआईआर नही कायम किया गया। जो नियम के विरुद्ध है केवल प्राचार्यो के विरुद्ध कुड़की की कार्यवाही की गई है। जिसमतें 05 प्राचार्यो द्वारा राशि जमा करा दी गई है। जिनके नाम क्रमशः श्रीमती उमा द्विवेदी प्राचार्य शा.उ.मा.वि. प्रतापगंज, रामदेव वर्मा प्राचार्य शा.उ.मा.वि.पिपराही, हीरामणि प्रजापति प्राचार्य शा.उ.मा.वि.मझिगवां हनुमना, भाई लाल कोल प्राचार्य शा.उ.मा.वि.तिलया हनुमना, सी.पी.साकेत प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बरांव हनुमना एवं शेष 04 प्राचार्यो द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित राशि जमा नही की गई है।

अन्य लोगों के विरुद्ध दिनांक 03.08.2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई जिनके नाम निम्न विवरण अनुसार है– विभा शुक्ला, सुधीर कुमार तिवारी, अतुल तिवारी, कमलेश कुमार द्विवेदी, उर्मिला प्रसाद चर्तुवेदी, सुषगा तिवारी, अशोक कुमार चर्तुवेदी, अनिल कुमार शुक्ला, रामकृष्ण मिश्रा, राधेरमण द्विवेदी, स्वाती तिवारी, सुनील पाण्डेय, सरोज पाण्डेय, अंकित अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, शांति दाहिया, सीमा द्विवेदी, सीमा तिवारी, आशा अग्रवाल, आकांक्षा अग्रवाल, अंकिता मिश्रा ट्रेडर्स, ज्ञानेन्द्र कुमार आदि है। संबंधितों के द्वारा सुची में वर्णित निम्न ब्यक्तियों द्वारा माननाय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. –20624/2021 दिनांक 29.09.2021 में श्री विजय कुमार अग्रवाल श्री अंकित अग्रवाल, श्री कमलेश प्रसाद द्विवेदी, अतुल तिवारी, स्वाती तिवारी, सीमा द्विवेदी, अंकिता मिश्रा को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है एवं याचिका क्र.–23332/2021 दिनांक 29.10.2021 में श्री रामकृष्ण मिश्रा को माननीय उच्च न्यायालय से स्थन प्राप्त है। एवं याचिका क्र.–23639/2021 दिनांक 29.10.2021 को श्री राधे रमण द्विवेदी, सुधीर कुमार तिवारी एवं सुषमा तिवारी को माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। एवं याचिका क्र. –22256/2022 दिनांक 07.01.2022 में श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती शांति दाहिया एवं आकाक्षा अग्रवाल को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है।

(ग) – जी हां, अपितु श्री अशोक कुमार शर्मा को उक्त आरोपों के संबंध में कलेक्टर रीवा के आदेश क्र.969 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिरमौर किया गया था, श्री अखिलेश कुमार तिवारी सहायक ग्रेड–3 को निलंबित कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गंगेव किया गया था एवं श्री विजय कुमार तिवारी सहायक अध्यापक का निलंबन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिा पंचायत रीवा द्वारा किया जाकर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर कर्चुलियान किया गया था। श्री शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र.7667/2021 दिनांक 05.04.2021 में स्थगन प्राप्त है। श्री शर्मा के ऊपर लगाये गये आरोपो में अलग–अलग आरोपों के अलग–अलग स्थगन भिन्न–भिन्न याचिका क्र.–10644/2021, 13484/2021, 28925/2021 में निर्णय प्राप्त होने के कारण एवं माननीय न्यायालय में दायर याचिका क्र.

28925/2021 निर्णय दिनांक 04.02.2022 अवमानना प्रकरण जो कार्यालयीन आदेश क्र./807–808 रीवा दिनांक 03.12.2021 के अनुसार कार्यालयीन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कार्य विभाजन किया गया था जिसमें श्री अशोक कुमार शर्मा लेखापाल द्वारा किये गये कार्यविभाजन को उनके पद के अनुरूप न होने के कारण उपरोक्त वर्णित याचिका कार्यविभाजन पर रोंक लगाते हुए उनके पद के अनुरूप कार्य दिये जाने तथा याचिका क्र.– 7667/2021 दिनांक 05.04.2021 के अनुसार स्टेटस बहाल किये जाने का आंतरिम निर्णय मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जिसके परिपालन में इस कार्यालय क्र. /1384–1385 दिनांक 04.02.2022 द्वारा पूर्ववत् अंशभाग कर प्रभार दिया गया। तथा श्री अखिलेश कुमार तिवारी सहायक ग्रेड–03 को इस कार्यालय के मान्नीय न्यायालय में दायर याचिका क्र.–.20054/2021 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्र./464–465 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा बहाल कर इसी कार्यालय में पदस्थ किया गया है। जो वर्तमान समय में कार्यालयीन अनुकम्पा/आरटीआई कक्ष पर कार्य कर रहे है। श्री विजय कुमार तिवारी सहायक अध्यापक के विरुद्ध कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा के आदेश क्र./सर्तकता–1/वि.जा/शिक्षा/2021/426–427 रीवा दिनांक 18.10.2021 को विभागीय जांच संस्थापित की गई है।

(घ) – जी हां, जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित राशि में से कुल राशि रुपये 8318751/– वसूल हो चुकी है शेष वसूली के संबंध में अन्य संबंधितों द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 25066/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2021 में कमलेश कुमार द्विवेदी, अतुल तिवारी, स्वाती तिवारी, सीमा द्विवेदी, अंकिता मिश्रा उर्फ अंकिता तिवारी, विजय कुमार अग्रवाल उर्फ बी.के.अग्रवाल, श्रीमती आशा अग्रवाल, आकांक्षा अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, रामकृष्ण मिश्रा द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक स्थगन प्राप्त है।

अतः प्रश्नांश (क) से (घ) तक की संक्षिप्त (संक्षेपिका) भवदीय की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

अनुभाग ... ...अधिकारी,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)